

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- अनिल कुमार अग्रवाल, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :- 17/2021

(जी सी एम एस नम्बर 2021/89)

उनवानी प्रकरण :-

1-चन्दनसिंह | पुत्रगण टीका जाति कुशवाह  
2-धनीराम उर्फ धन्ना | निवासीगण ग्राम खौरपुरा तहसील धौलपुर

अपीलान्टस

बनाम

1-हीरनदेई उर्फ हीरो पत्नी (खुद के कथनानुसार)रामअवतार जाति कुशवाह निवासी  
ग्राम खौरपुरा तहसील धौलपुर  
2-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर

रेस्पोंडेण्टस

अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 692  
दिनांक 02.12.2020 बॉके ग्राम सांदरा  
आदेश तहसीलदार धौलपुर



उपस्थिति :-

अपीलान्ट की ओर से :- श्री राजेन्द्र सिंह राना एडवोकेट  
रेस्पोंडेण्ट सं01की ओर से :- श्री राकेश कुमार शर्मा एडवोकेट  
रेस्पोंडेण्ट सं02की ओर से :- श्री गोपाल नारायण शर्मा राज. अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 11.10.2022

उक्त अपील अपीलान्टस द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई कि ग्राम सांदरा स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 258,259,260,261,262,265 के बावत एक नामान्तकरण दिनांक 16.10.2020 को पटवारी हल्का द्वारा रेस्पोंसं01 के पक्षक में भरा गया जिसे दिनांक 19.10.2020 को आई.एल.आर. द्वारा प्रमाणित करके संबंधित गाम पंचायत में वास्ते स्वीकृत प्रस्तुत किया। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तकरण पर कोई निर्णय नहीं लिया तत्पश्चात दिनांक 02.12.2020 को रेस्पोंसं02 द्वारा उसे

(2)

न्यायाधीश जिला कलक्टर धौलपुर  
व्युक्त चन्दनसिंह बनाम हीरनदेई उर्फ हीरो  
अपील संख्या 17/2021

स्वीकृत फरमा दिया। इस नामान्तकरण संख्या 692 ग्राम सांदरा के जरिये ऊपर वर्णित कृषि भूमि स्व० गौरीशंकर पुत्र टीका जाति काछी साकिन खौरपुरा के स्थान पर रेस्पो० सं० 01 के नाम नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया। उक्त नामान्तकरण से व्यथित होकर निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है कि वर्णित शिजरे में गौरीशंकर पुत्र टीका का स्वर्गवास काफी समय पूर्व हो चुका है। टीका के तीन पुत्र स्व० गौरीशंकर तथा अपीलान्त चंदनसिंह व धनीराम उर्फ धन्ना है। टीका की वेवा बसन्ती का भी स्वर्गवास हो चुका है उनके सबसे नजदीकी वारिसान अपीलान्तस ही है जो बसन्ती के पुत्र है। गौरीशंकर के निधन के समय उनका एक पुत्र रामअवतार एवं उनकी वेवा रामबेटी उत्तराधिकारी के रूप में के रूप में जीवित थे जो दोनों ही गौरीशंकर के निधन के बाद स्वर्गवासी हो चुके हैं। रामअवतार का भी स्वर्गवास हो चुका है उनकी शादी नहीं हुई थी अर्थात वह लाबल्ड बिला जोजे फौत हुआ है। इसीप्रकार रामबेटी का भी कोई उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण स्व० गौरीशंकर के सबसे नजदीकी उत्तराधिकारी गण अपीलान्तस हैं जो कि गौरीशंकर के खाश भाई है। इस प्रकार विवादग्रस्त आराजीयात में जो हिस्सा स्व० गौरीशंकर का था वह हिस्सा अपीलान्तस पर प्रकान्त हुआ है। स्व० गौरीशंकर के हिस्से में दोनों अपीलान्तस वहिस्सा बराबर के सहहिस्सेदार एवं खातेदार काशतकार हुये है और मौके पर इसी अनुसार काबिज और काशतकार रहे है। रेस्पो० सं० 01 का स्व० गौरीशंकर के परिवार से कोई लेना-देना नहीं है। अपीलान्त सं० 02 धनीराम उर्फ धन्ना के चार पुत्र अतरसिंह, रामदास, राजकुमार एवं संतोष थे जिनमें से अतरसिंह का स्वर्गवास करीब 10 वर्ष पूर्व हो चुका है। रेस्पो० सं० 01 अतरसिंह की वेवा है। स्व० अतरसिंह एवं रेस्पो० सं० 01 के दो पुत्र बबलू एवं मनीष तथा दो पुत्रियां राजकुमारी एवं रूबी है जिन्हें शिजरे में दिखलाया गया है। रेस्पो० सं० 01 अपीलान्त सं० 02 के पूर्व मृत पुत्र अतरसिंह की वेवा है मगर रेस्पो० सं० 01 के मन में बेईमानी आ गई इसलिये रेस्पो० सं० 01 ने अपने आपको स्व० गौरीशंकर के पुत्र रामअवतार की वेवा कथन करते हुये स्व० गौरीशंकर के छोड़े हुये भाग पर अपने नाम नामान्तकरण कराना चाहा जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था। रेस्पो० सं० 01 द्वारा जैसे ही स्वयं को स्व० गौरीशंकर की जायदाद पर अपने आपको अधिकारी बनाने की कोशिश की वैसे ही अपीलान्तस ने न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर में एक राजस्व वाद वास्ते स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं दुरुस्ती इन्द्रांज हेतु उनवानी चन्दनसिंह वगैरा बनाम हीरो वगैरा प्रस्तुत किया जो आज भी विचाराधीन है तथा विवादित नामान्तकरण तस्दीक किये जाने के दिन भी लम्बित था। अपीलान्तस की ओर से रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 21.11.2020 को सम्बन्धित ग्राम पंचायत नकटपुरा जरिये सरपंच नत्थो कुमारी के विपरीत इस आशय का भिजवाया कि स्व० गौरीशंकर के हिस्से पर वे रेस्पो० सं० 01 के नाम नामान्तकरण नहीं खोलें। सरपंच ग्राम पंचायत नकटपुरा को चूँकि तथ्यों की जानकारी थी इसलिये उन्होंने नामान्तकरण संख्या 692 को स्वीकृत नहीं किया जिसे दिनांक 02.12.2020 को रेस्पो० सं० 02 द्वारा विधि विरुद्ध

तरीके से तरदीक करके काबूनी भूल की है। अपीलधीन नामान्तकरण करते समय अपीलान्तस से किसी प्रकार की जानकारी नहीं की गई बल्कि रेषपो0सं01 द्वारा प्रस्तुत शिजरा एवं शपथ पत्र को ही कनकलुशिव पूफ मानते हुये रेषपो0सं01 के पक्ष में नामान्तकरण भर दिया किसी प्रकार की कोई जाँच किसी व्यक्ति से नहीं की। अपीलान्तस ने संबंधित ग्राम पंचायत को रजिस्टर्ड नोटिस एवं तहसीलदार धौलपुर को व्यक्तिगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह अवगत करा दिया गया था कि रेषपो0सं01 स्व0 गौरीशंकर की उत्तराधिकारी नहीं है बल्कि अपीलान्तस उत्तराधिकारी है इसके अलावा यह भी पूरी तरह से ज्ञान में था कि रेषूलर शूट भी न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में नामान्तकरण जैसी विविध एवं वित्तीय कार्यवाहीयों स्थगित रखे जाने योग्य रहती है क्योंकि नियमित बाद में सुनवाई के बाद जो भी निर्णय होता है उसी अनुसार अभिलेखों में प्रविष्टियाँ किया जाना अपेक्षित रहता है। सम्पूर्ण कार्यवाही नामान्तकरण में अपीलान्तस को अपना पक्ष रखने का कोई मौका नहीं दिया गया मनमाने तौर साश कार्यवाही करते हुये अपीलधीन नामान्तकरण तरदीक किया गया है जो काबिल निरस्ती है। अतः अपील अपीलान्तस रवीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलधीन नामान्तरकरण संख्या 692 निरस्त करते हुये अपीलान्तस के नाम नामान्तकरण किये जाने की आज्ञा प्रदान करने की प्रार्थना की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेषपोडेण्टस को तलब किया गया। रेषपोडेण्ट नम्बर 1 की ओर से श्री राकेश कुमार शर्मा एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया तथा रेषपो0सं02 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। रेषपो0सं01 की ओर उनके अभिभाषक द्वारा अपील का जबाव पेश किया गया जिसमें उन्होंने कथन किया है कि अपील में शिजरा टीका जिस प्रकार से पेश किया गया है वह गलत है और रेषपो0 को स्वीकार नहीं है। शिजरा में सही वारिसान अंकित नहीं किये है शिजरा में टीका के पुत्र गौरीशंकर के पुत्र रामअवतार को लाओलाद फोट बताया गया है जबकि रेषपो0सं01 रामअवतार की धर्म पत्नी है इसलिये रामअवतार की मृत्यु के बाद रामअवतार की संपत्ति पर विधिक अधिकार रेषपो0सं01 को प्राप्त है। अपीलान्त ने सत्य कथन को छुपाया है कि गौरशंकर के पुत्र रामअवतार के कोई विधिक वारिसान नहीं है रामअवतार की पत्नी रेषपो0सं01 है जो जीवित है व गौरीशंकर की समस्त जायदाद की मालिक व स्वामी है। रेषपो0सं01 रामअवतार की धर्म पत्नी है जिसका विवाह रामअवतार के साथ सन 1990 में हिन्दू धर्म के अनुसार सभी संस्कारों का पालन करते हुये हुआ था। रामअवतार की मृत्यु विवाह के दो वर्ष बाद हो गई थी रामअवतार की मृत्यु के समय रेषपो0सं01 कोई पुत्र पुत्री पैदा नहीं हुये थे इस प्रकार से अपीलान्त का गौरीशंकर की संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। रेषपो0सं01 हीरनदेई के पति रामअवतार की मृत्यु होने के चार वर्ष बाद धनीराम उर्फ धन्ना के पुत्र अतरसिंह के साथ बैठा दिया था जिससे रेषपो0सं01 रामअवतार की धर्म

(4)

न्यायालया कलक्टर धौलपुर  
नमूना: चन्दनसिंह बनाम हीरनदेई उर्फ हीरो  
अपील संख्या 17/2021

पत्नी थी व रामअवतार की समस्त संपत्ति में उत्तराधिकारी है। रेस्पोंसंट 02 ने जो नामान्तरण किया है वह पूर्ण सत्य है व किसी प्रकार की कोई भूल नहीं की है उक्त नामान्तरण अपने पदीय कर्तव्यों के अनुरूप खोला गया है जिसे किसी प्रकार से चैलेंज नहीं किया जा सकता। अपीलान्ट ने जो वाद न्यायालय उप खण्डाधिकारी धौलपुर के समक्ष पेश किया वह अपील के बाद पेश किया गया है। अपीलान्टस ने उक्त अपील जानबूझकर गलत तथ्यों पर पेश की है और कानून के विपरीत गौरीशंकर की संपत्ति को हड़पने की नीयत से उक्त अपील पेश की गई है जो काबिले खारिजी है। अतः अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 692 यथावत रखे जाने की प्रार्थना की है।

बहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि वर्णित शिजरे में गौरीशंकर पुत्र टीका का स्वर्गवास काफी समय पूर्व हो चुका है। टीका के तीन पुत्र स्व० गौरीशंकर तथा अपीलान्ट चंदनसिंह व धनीराम उर्फ धन्ना है। टीका की वेवा बसन्ती का भी स्वर्गवास हो चुका है उनके सबसे नजदीकी वारिसान ओलान्टस ही है जो बसन्ती के पुत्र है। गौरीशंकर के निधन के समय उनका एक पुत्र रामअवतार एवं उनकी वेवा रामबेटी उत्तराधिकारी के रूप में जीवित थे जो दोना ही गौरीशंकर के निधन के बाद स्वर्गवासी हो चुके है। रामअवतार का भी स्वर्गवास हो चुका है उनकी शादी नहीं हुई थी अर्थात वह लाबल्ड विला जोजे फौत हुआ है। इसीप्रकार रामबेटी का भी कोई उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण स्व० गौरीशंकर के सबसे नजदीकी उत्तराधिकारीगण अपीलान्टस हैं जो कि गौरीशंकर के खास भाई है। इस प्रकार विवादग्रस्त आराजीयात में जो हिस्सा स्व० गौरीशंकर का था वह हिस्सा अपीलान्टस पर प्रकान्त हुआ है। स्व० गौरीशंकर के हिस्से में दोनो अपीलान्टस वहिस्सा बराबर के सहहिस्सेदार एवं खातेदार काश्तकार हुये। अपीलान्ट संख्या 02 धनीराम उर्फ धन्ना के चार पुत्र अतरसिंह, रामदास, राजकुमार एवं संतोष थे जिनमें से अतरसिंह का स्वर्गवास करीब 10 वर्ष पूर्व हो चुका है। रेस्पोंसंट 01 अतरसिंह की वेवा है। स्व० अतरसिंह एवं रेस्पोंसंट 01 के दो पुत्र बबलू एवं मनीष तथा दो पुत्रियां राजकुमारी एवं रूबी है जिन्हें शिजरे में दिखलाया गया है। रेस्पोंसंट 01 अपीलान्ट सं० 02 के पूर्व मृत पुत्र अतरसिंह की वेवा है मगर रेस्पोंसंट 01 के मन में बेईमानी आ गई इसलिये रेस्पोंसंट 01 ने अपने आपको स्व० गौरीशंकर के पुत्र रामअवतार की वेवा कथन करते हुये स्व० गौरीशंकर के छोडे हुये भाग पर अपने नाम नामान्तरण कराना चाहा जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। रेस्पोंसंट 01 स्व० गौरीशंकर की उत्तराधिकारी नहीं है बल्कि अपीलान्टस उत्तराधिकारी है इसके अलावा यह भी पूरी तरह से ज्ञान में था कि रेगूलर वाद भी न्यायालय में विचाराधीन है ऐसी स्थिति में नामान्तरण जैसी विविध एवं विल्लीय कार्यवाहीयों स्थगित रखे जाने योग्य रहती है।

(5)

न्या० जिला कलक्टर धौलपुर  
वमुक: चन्दनसिंह बनाम हीरनदेई उर्फ हीरो  
अपील संख्या 17/2021

सम्पूर्ण कार्यवाही नामान्तरण में अपीलान्टस को अपना पक्ष रखने का कोई मौका नहीं दिया गया जो काबिल निरस्ती है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं०१ ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपील में शिजरा टीका जिस प्रकार से पेश किया गया है वह गलत है और रेस्पो० को स्वीकार नहीं है। शिजरा में सही वारिसान अंकित नहीं किये हैं शिजरा में टीका के पुत्र गौरीशंकर के पुत्र रामअवतार को लाओलाद फोट बताया गया है जबकि रेस्पो० सं०१ रामअवतार की धर्म पत्नी है इसलिये रामअवतार की मृत्यु के बाद रामअवतार की संपत्ति पर विधिक अधिकार रेस्पो० सं०१ को प्राप्त है। अपीलान्ट ने सत्य कथन को छुपाया है कि गौरशंकर के पुत्र रामअवतार के कोई विधिक वारिसान नहीं है रामअवतार की पत्नी रेस्पो० सं०१ है जो जीवित है व गौरीशंकर की समस्त जायदाद की मालिक व स्वामी है। रेस्पो० सं०१ रामअवतार की धर्म पत्नी है जिसका विवाह रामअवतार के साथ सन 1990 में हिन्दू धर्म के अनुसार सभी संस्कारों का पालन करते हुये हुआ था। रामअवतार की मृत्यु विवाह के दो वर्ष बाद हो गई थी रामअवतार की मृत्यु के समय रेस्पो० सं०१ कोई पुत्र पुत्री पैदा नहीं हुये थे इस प्रकार से अपीलान्ट का गौरीशंकर की संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। रेस्पो० सं०१ हीरनदेई के पति रामअवतार की मृत्यु होने के चार वर्ष बाद धनीराम उर्फ धन्ना के पुत्र अतरसिंह के साथ बैठा दिया था जिससे रेस्पो० सं०१ रामअवतार की धर्म पत्नी थी व रामअवतार की समस्त संपत्ति में उत्तराधिकारी है। रेस्पो० सं०२ ने जो नामान्तरण किया है वह पूर्ण सत्य है व किसी प्रकार की कोई भूल नहीं की है। अपीलान्ट ने जो वाद न्यायालय उप खण्डाधिकारी धौलपुर के समक्ष पेश किया वह अपील के बाद पेश किया गया है। अपीलान्टस ने उक्त अपील जानबूझकर गलत तथ्यों पर पेश की है और कानून के विपरीत गौरीशंकर की संपत्ति को हडपने की नीयत से उक्त अपील पेश की गई है जो काबिले खारिजी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में मुख्य रूप से रेस्पो० संख्या-1 हीरनदेई उर्फ हीरो की वल्दियत का विवाद है। अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि रेस्पो० सं०१ हीरनदेई उर्फ हीरो अतरसिंह की पत्नी है जबकि रेस्पो० के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि सजरा में टीका के पुत्र गौरीशंकर के पुत्र रामअवतार को लाओलाद फोट बताया गया है जबकि रेस्पो० सं०१ हीरनदेई उर्फ हीरो रामअवतार की धर्म पत्नी है। रेस्पो० सं०१ हीरनदेई उर्फ हीरो के पति रामअवतार की मृत्यु होने के चार वर्ष बाद धनीराम उर्फ धन्ना के पुत्र अतरसिंह के साथ बैठा दिया था जिससे रेस्पो० सं०१ रामअवतार की धर्म पत्नी थी व रामअवतार की समस्त संपत्ति में उत्तराधिकारी है। अपीलान्टस के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार पंचायत चुनाव निर्वाचक नामावली 2020 ग्राम पंचायत

(6)

न्या० जिला कलक्टर धौलपुर  
यमुक: चन्दनसिंह बनाम हीरनदेई उर्फ हीरो  
अपील संख्या 17/2021

नकटपुरा वार्ड क्रमांक 8 में कम संख्या 148 पर रेसपो0 संख्या-1 के पति का नाम अतरसिंह अंकित है। इसी तरह परिवार पहचान दस्तावेज में रेसपो0 संख्या-1 के पति का नाम अतरसिंह अंकित है जिसमें रेसपोडेन्ट संख्या-1 का आधार कार्ड संख्या 486995280519 का भी अंकन है। रेसपोडेन्ट संख्या-1 के आधार कार्ड में भी पति का नाम अतरसिंह अंकित है। इन सभी दस्तावेजों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया रेसपोडेन्ट संख्या-1 हीरनदेई उर्फ हीरो, अतरसिंह की पत्नी दर्ज होने से वल्लिद्यत विवादित प्रतीत होती है। अपीलाधीन नामान्तकरण का अवलोकन करने पर उक्त नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 20.10.2020 तथा 05.11.2020 को पेश किया गया जिस पर बैठक में निर्णय नहीं किया गया तत्पश्चात तहसीलदार धौलपुर द्वारा उक्त नामान्तकरण दिनांक 02.12.2020 को स्वीकृत किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध अपीलान्टस द्वारा दिनांक 12.10.2020 का प्रार्थना पत्र जो तहसीलदार धौलपुर को नामान्तकरण खोलने बावत प्रस्तुत किया है जिस पर तहसीलदार धौलपुर ने पटवारी/आई.एल.आर को तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु लिखा है परन्तु उक्त नामान्तकरण के संबंध में तथ्यों की कोई जाँच की गई हो ऐसी कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट का हवाला अपीलाधीन नामान्तकरण पर उनके आदेश में अंकित नहीं है और न ही ऐसी कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है। इन परिस्थितियों में तहसीलदार को नामान्तकरण स्वीकृत करने से पूर्व रेसपो0संख्या-1 हीरनदेई उर्फ हीरो किसकी पत्नी है उसके दस्तावेजों की जाँच किया जाना चाहिए था व विस्तृत आदेश पारित किया जाना अपेक्षित था परन्तु उनके द्वारा ऐसी कोई जाँच नहीं की गई। इस प्रकार तहसीलदार धौलपुर द्वारा तथ्यों की जाँच किये बिना एवं पक्षकारों को सुने बिना, अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित किया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार धौलपुर को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 692 दिनांक 02.12.2020 वांके ग्राम सांदरा पटवार मण्डल कोटरा तहसील धौलपुर निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार धौलपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन को ध्यान में रखते हुये रेसपो0संख्या-1 हीरनदेई उर्फ हीरो, रामअवतार की पत्नी है या अतरसिंह की संबधी तथ्यों की विस्तृत जाँच कर उभयपक्षों को सुनकर पुनः नामान्तकरण तस्दीक किये जाने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार धौलपुर को भिजवाई जावे। पत्रावली तदनुसार फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( अनिल कुमार अग्रवाल )  
जिला कलक्टर

